



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र.

/2017

III/निगरानी/अनूपपुर/भूरा/2017/3984

श्रीमती मालती देवी पत्नी श्री मुरली प्रसाद द्वारा श्री चेतन लाल पुत्र श्री मुरली प्रसाद कुशवाह, मुख्त्यार खास, निवासी- वार्ड क्र. 18 शांति नगर राजनगर ग्राम बनगमा तहसील कोतमा जिला अनूपपुर (म. प्र.)

--आवेदिका

श्री विनाद भागव को
द्वारा आज दि 23-10-17 को
प्रस्तुत

23-10-17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पेशी दिनांक 1-11-17

[Signature]

विरुद्ध

1. तहसीलदार महोदय, तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.)
2. कोलई पुत्र चिंतामन, निवासी- ग्राम वरीं तहसील व जिला अनूपपुर (म. प्र.)
3. तेज प्रताप पुत्र श्री जोधावली राठौर, ग्राम हरी तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.)
4. ऐतु पुत्र हीरालाल राठौर, निवासी- ग्राम वरीं तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.)

--अनावेदकगण

विनाद भागव
एडवोकेट
ग्वालियर
23-10-2017

न्यायालय तहसीलदार महोदय, अनूपपुर जिला अनूपपुर द्वारा लंबित सीमांकन कार्यवाही न कराये जाने के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 8 के अधीन अधीक्षण शक्तियां एवं सहपठित धारा 50 के अधीन आवेदन।

माननीय महोदय,

आवेदिका का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

1. यहकि, आवेदिका ने ऐतु भूमि स्वामी से भूमि सर्वे क्रमांक 967/4/क/1/क रकबा 0.036 हे. क्रय किया था तदानुसार प्रकरण क्रमांक 02/21-6/14-15 में पण्डित आदेश दिनांक 01/11/2014

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - III/2/अनुपपूर/श.सा. 2017/3994

जिला - अनुपपूर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05/01/19	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी...त.स.ल.३.१५..... अनुपपूर.....के प्रकरण क्रमांक ...२४/अ-६/१५-१५..... में पारित आदेश दिनांक ०१-११-१५... के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. १५- राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुपपूर..... को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक...१८-१०-१९.....को अनुपपूर..... के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">(महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य</p>	